कार्यकारी सार

I. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का वित्तीय निष्पादन

31 मार्च 2020 को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 36 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (एस.पी.एस.ई.) थे। इनमें 28 सरकारी कंपनियां, छः सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियां और दो सांविधिक निगम शामिल हैं। यह प्रतिवेदन 26 सरकारी कंपनियों तथा निगमों (दो सांविधिक निगमों सहित), सरकार नियंत्रित तीन अन्य कंपनियों से संबंधित है; इस प्रतिवेदन में सात एस.पी.एस.ई. (सरकार नियंत्रित तीन अन्य कंपनियों सहित) शामिल नहीं हैं, जो निष्क्रिय/परिसमापनाधीन थे या जिनके प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए थे।

(अनुच्छेद 1.1 तथा 2.1)

हरियाणा सरकार द्वारा निवेश

इस प्रतिवेदन में शामिल 29 एस.पी.एस.ई. में से 24 एस.पी.एस.ई. के लेखे इंगित करते हैं कि हरियाणा सरकार ने शेयर पूंजी में ₹ 35,718.68 करोड़ का निवेश किया। हरियाणा सरकार द्वारा दिया गया ₹ 341.48 करोड़ का ऋण 31 मार्च 2020 तक बकाया था। गत वर्ष की तुलना में 2019-20 के दौरान एस.पी.एस.ई. की इक्विटी में राज्य सरकार द्वारा निवेश में ₹ 5,830.10 करोड़ की निवल वृद्धि दर्ज की गई जबकि बकाया ऋण में ₹ 2.71 करोड़ की कमी आई।

(अनुच्छेद 1.2 तथा 2.2)

इक्विटी पर रिटर्न

2019-20 के दौरान विद्युत क्षेत्र के सभी चार एस.पी.एस.ई. का निवल मूल्य सकारात्मक था और उनका इक्विटी पर रिटर्न 7.82 प्रतिशत था। लाभ अर्जित करने वाले एस.पी.एस.ई. (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) की संख्या 17 थी; इन 17 एस.पी.एस.ई. की इक्विटी पर रिटर्न 14.56 प्रतिशत था। 2019-20 में हानि उठाने वाले छः एस.पी.एस.ई. सहित सभी 25 एस.पी.एस.ई. (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में इक्विटी पर रिटर्न 12.16 प्रतिशत था।

(अनुच्छेद 1.3.1 तथा 2.3.1)

विद्युत क्षेत्र के किसी भी एस.पी.एस.ई. ने लाभांश घोषित/प्रदत्त नहीं किया। विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त, तीन एस.पी.एस.ई. ने वर्ष 2018-19 के लिए ₹ 47.33 करोड़ के निवल लाभ के विरूद्ध ₹ 6.52 करोड़ का लाभांश घोषित किया।

(अनुच्छेद 1.3.2 तथा 2.3.2)

वर्ष 2019-20 के दौरान हानि उठाने वाले छः एस.पी.एस.ई. थे। इन कंपनियों द्वारा उठाई गई हानि 2018-19 में ₹ 37.43 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹ 38.10 करोड़ हो गई।

(अनुच्छेद 2.4)

निवल मूल्य/संचित हानि

₹ 249 करोड़ की संचित हानि वाले सात एस.पी.एस.ई. (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) थे। सात एस.पी.एस.ई. में से तीन एस.पी.एस.ई. ने वर्ष 2019-20 में ₹ 16.92 करोड़ की हानि उठाई और चार एस.पी.एस.ई. ने वर्ष 2019-20 में कोई हानि नहीं उठाई, यद्यपि उनकी संचित हानि ₹ 231 करोड़ थी।

(अनुच्छेद 2.4.1)

निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर रिटर्न

31 मार्च 2020 तक राज्य सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य 1999-2000 में ₹ 612.33 करोड़ की तुलना में ₹ 65,319.59 करोड़ परिगणित किया गया। 1999-2000 से 2016-17 (2002-03 और 2003-04 को छोड़कर) के दौरान विद्युत क्षेत्र के एस.पी.एस.ई. की कुल कमाई नकारात्मक थी और 2017-18 से 2019-20 के दौरान न्यूनतम अपेक्षित रिटर्न से कम थी, जो दर्शाता है कि सरकार अपनी निधियों की लागत की वसूली नहीं कर सकी। वर्ष 2008-09 और 2014-15 को छोड़कर विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य एस.पी.एस.ई. की कुल आय भी न्यूनतम अपेक्षित रिटर्न से कम रही।

(अनुच्छेद 1.4.3 तथा 2.5.3)

राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति तैयार (अक्तूबर 2003) की थी जिसके अंतर्गत सभी राज्य एस.पी.एस.ई. को राज्य सरकार की प्रदत्त शेयर पूंजी पर न्यूनतम चार प्रतिशत रिटर्न का भुगतान करना अपेक्षित था। कुछ एस.पी.एस.ई. के वितरण योग्य लाभ होने के बावजूद, उन्होंने कोई लाभांश घोषित नहीं किया है। यह सिफारिश की जाती है कि राज्य सरकार निदेशक मंडल में अपने नामितों के माध्यम से मामले को उठाए।

II. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की पर्यवेक्षण भूमिका

31 मार्च 2020 तक, नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत राज्य सरकार की 28 कंपनियां और राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन छः अन्य कंपनियां थीं। इनमें से, राज्य सरकार की 27 कंपनियों और राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन पांच अन्य कंपनियों से 2019-20 के लेखे देय थे। नि.म.ले.प. द्वारा लेखापरीक्षा हेतु वर्ष 2019-20 के लिए कुल नौ सरकारी कंपनियों और राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन एक अन्य कंपनी ने अपने लेखे 31 दिसंबर 2020 को या उससे पहले प्रस्तुत किए। इनमें से राज्य सरकार की सात कंपनियों तथा राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित एक अन्य कंपनी के लेखों की समीक्षा नि.म.ले.प. द्वारा लेखापरीक्षा में की गई थी। राज्य सरकार की 18 कंपनियों तथा राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित चार अन्य कंपनियों के लेखे विभिन्न कारणों से बकाया थे।

(अनुच्छेद 3.3.2 तथा 3.5.1)

राज्य सरकार की कंपनियों की वित्तीय विवरणियों पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां जारी की गईं, जिनका वित्तीय प्रभाव लाभप्रदता पर ₹ 108.21 करोड़ था और परिसंपत्तियों/देयताओं पर ₹ 478.86 करोड़ था।

(अनुच्छेद 3.5.2)

पूरक लेखापरीक्षा के दौरान वित्तीय रिपोर्टों में या रिपोर्टिंग प्रक्रिया में देखी गई अनियमितताओं और कमियों को सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए 'प्रबंधन पत्र' के माध्यम से चार एस.पी.एस.ई. के प्रबंधन को सूचित किया गया था।

(अनुच्छेद 3.7)

लेखाओं को अन्तिम रूप देने तथा उनकी अनुवर्ती लेखापरीक्षाओं के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि किए गए निवेश और व्यय का उचित लेखा-जोखा रखा गया था और जिस उद्देश्य के लिए राशि का निवेश किया गया था, वह प्राप्त हो गया था। लेखाओं को अंतिम रूप देने में देरी से संबंधित कानूनों के प्रावधानों के उल्लंघन के अतिरिक्त धोखाधड़ी और सार्वजनिक धन का रिसाव भी हो सकता है। अत: यह सिफारिश की जाती है कि वार्षिक लेखाओं को निर्धारित समय के भीतर तैयार करके अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।

III. कॉरपोरेट गवर्नेंस

कॉरपोरेट गवर्नेंस की समीक्षा में विभिन्न विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत 22 एस.पी.एस.ई. शामिल हैं। कॉरपोरेट गवर्नेंस के बारे में कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी नियम, 2014 के प्रावधान, यद्यपि अनिवार्य हैं, कुछ एस.पी.एस.ई. द्वारा इनका अनुपालन नहीं किया जा रहा था। वर्ष के दौरान निर्धारित दिशानिर्देशों से निम्नलिखित महत्वपूर्ण विचलन देखे गए थे:

- नौ एस.पी.एस.ई. में, स्वतंत्र निदेशकों ने न तो बोर्ड की बैठकों में और न ही सामान्य बैठकों में भाग लिया।

(अनुच्छेद 4.3.4 तथा 4.3.5)

- तीन एस.पी.एस.ई. में स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठकें आयोजित नहीं की गई थीं।

(अनुच्छेद 4.3.6.1)

- चार एस.पी.एस.ई. में स्वतंत्र निदेशकों की रिक्तियों को समय पर नहीं भरा गया था। सात एस.पी.एस.ई. में प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की रिक्तियों को समय पर नहीं भरा गया था।

(अनुच्छेद 4.5)

- जबकि समीक्षाधीन 11 एस.पी.एस.ई. ने लेखापरीक्षा समिति का गठन किया, लेखापरीक्षा समिति में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या तीन एस.पी.एस.ई. में निर्धारित संख्या से कम थी।

(अनुच्छेद 4.6.1)

- हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जिसके बॉण्ड्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं, ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 का अनुपालन नहीं किया है।

(अनुच्छेद 4.6.3)

- पांच एस.पी.एस.ई. में कोई व्हीसल ब्लोअर मैकेनिज्म नहीं था।

(अनुच्छेद 4.8.1)

हरियाणा लोक उद्यम ब्यूरो को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए एक नीति तैयार करनी चाहिए जिसमें उनकी नियुक्ति के लिए प्रस्ताव शुरू करने की समय सीमा, बैठक फीस आदि सहित मानक नियम एवं शर्तें शामिल हों। हरियाणा सरकार कंपनी नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों पर दबाव डाले ताकि एस.पी.एस.ई. में कॉरपोरेट प्रशासन के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

IV. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व

2018-19 में 25 कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (एस.पी.एस.ई.) में से 10 एस.पी.एस.ई. को कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) गतिविधियों को करने की आवश्यकता थी। लेखापरीक्षा ने वर्ष 2019-20 के दौरान इन 10 एस.पी.एस.ई. द्वारा की गई सी.एस.आर. गतिविधियों की समीक्षा की। समीक्षा में निम्नलिखित महत्वपूर्ण अभ्युक्तियां की गईं थीं:

- दस एस.पी.एस.ई. में से छः ने अपनी सी.एस.आर. नीति तैयार की है और अन्य तीन में सी.एस.आर. नीति नहीं थी। एक एस.पी.एस.ई. ने अपनी सी.एस.आर. नीति तैयार की है लेकिन इसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। 10 में से आठ एस.पी.एस.ई. ने अपनी सी.एस.आर. समितियों का गठन किया था।

(अनुच्छेद 5.5.1 तथा 5.5.3)

- सी.एस.आर. गतिविधियों के लिए 10 एस.पी.एस.ई. में से 7 द्वारा परिकलित औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत ₹ 17.50 करोड़ था। इन एस.पी.एस.ई. ने पिछले वर्षों के लिए ₹ 11.16 करोड़ के कैरीओवर सहित सी.एस.आर. के लिए ₹ 28.66 करोड़ आवंटित किए। उसके विरूद्ध वास्तविक व्यय ₹ 21.37 करोड़ था।

(अनुच्छेद 5.6.1 तथा 5.6.2)

- हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा सोनीपत में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना पर ₹ 12.20 करोड़ के व्यय सहित रोजगार एवं कौशल विकास पर सबसे अधिक ध्यान (73 प्रतिशत) दिया गया, लेकिन शिक्षा, खेल, स्लम विकास और पर्यावरण स्थिरता उपेक्षित क्षेत्र बने रहे।

(अनुच्छेद 5.7.3)

- सभी सात एस.पी.एस.ई., जिन्होंने सी.एस.आर. नीति तैयार की थी, ने नीति में निगरानी तंत्र को निर्दिष्ट किया था।

(अनुच्छेद 5.8)

यह सिफारिश की जाती है कि मानदंडों को पूरा करने वाले सभी एस.पी.एस.ई. को अपनी सी.एस.आर. नीति तैयार करनी चाहिए और कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों और सी.एस.आर. नियमों के अनुपालन में सी.एस.आर. समिति का गठन करना चाहिए।

V. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में भारतीय लेखांकन मानकों के कार्यान्वयन का प्रभाव

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने भारतीय आर्थिक और कानूनी परिवेश को ध्यान में रखते हुए भारतीय लेखांकन मानकों को अधिसूचित किया। ये भारतीय लेखांकन मानक अनिवार्य रूप से कंपनियों के निर्धारित वर्ग द्वारा 1 अप्रैल 2016 से अपनाए जाने थे। लेखापरीक्षा का उद्देश्य भारतीय लेखांकन मानकों के कार्यान्वयन के चरण I और II का अध्ययन करना था ताकि यह निर्धारण किया जा सके कि क्या राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एस.पी.एस.ई.) द्वारा भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाते समय भारतीय लेखांकन मानकों के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन किया गया था और एस.पी.एस.ई. की वित्तीय विवरणियों पर इनका क्या प्रभाव पड़ा।

अध्ययन में उन सात एस.पी.एस.ई. को शामिल किया गया, जिन्हें 2016-17 के दौरान चरण I और II में भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाना अपेक्षित था, जिसके निम्नलिखित प्रभाव थे:

- भारतीय लेखांकन मानक पहली बार अपनाने वाले को अपनी संपत्ति, संयंत्रों एवं उपकरणों (पी.पी.ई.) और अमूर्त परिसंपत्तियों की इनके वहन मूल्य के साथ जारी रखने के लिए चुनाव करने की अनुमति देता है। छः एस.पी.एस.ई. ने भारतीय लेखांकन मानक में परिवर्तन की तिथि के अनुसार अपने पी.पी.ई. और अमूर्त संपत्ति के वहन मूल्य को जारी रखने का विकल्प चुना।

(अनुच्छेद 6.4)

- हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड और हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने कर-पश्चात लाभ (पी.ए.टी.) में क्रमशः ₹ 6.82 करोड़ और ₹ 177.42 करोड़ की कमी दर्ज की, जबकि हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड ने भारतीय लेखांकन मानक को अपनाने के कारण पी.ए.टी. में ₹ 94.42 करोड़ की वृद्धि दर्ज की। भारतीय लेखांकन मानक को अपनाने के परिणामस्वरूप राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियों और देयताओं की विभिन्न मदों के मूल्यांकन में परिवर्तन उद्यम के पी.ए.टी. को भौतिक रूप से प्रभावित करते हैं।

(अनुच्छेद 6.6.1)

- जबकि हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड और हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के राजस्व में क्रमशः ₹ 18.72 करोड़ और ₹ 0.09 करोड़ की वृद्धि देखी गई, हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के संबंध में राजस्व में ₹ 16.89 करोड़ की कमी देखी गई।

(अनुच्छेद 6.6.2)

- जबकि हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड और हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में कुल संपत्ति के मूल्य में क्रमशः ₹ 2,054.02 करोड़ और ₹ 203.32 करोड़ की वृद्धि देखी गई, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में परिसंपत्तियों के कुल मूल्य में ₹ 5.73 करोड़ की कमी देखी गई।

(अनुच्छेद 6.6.3)

- भारतीय लेखांकन मानक को अपनाने के परिणामस्वरूप तीन एस.पी.एस.ई. के निवल मूल्य में ₹ 439.90 करोड़ की कमी आई। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में निवल मूल्य में अधिकतम ₹ 339.81 करोड़ की कमी देखी गई थी।

(अनुच्छेद 6.6.4)